मौसम

तापमान	नई दिल्ली	
अधिकतम-32.8 डि.से.		सूर्योदय- 5:56
न्यूनतम- 26.5 डि.से.		सूर्यास्त- 18:50

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाजार एसोसिएशन से मिलकर कहा

साप्ताहिक बाजारों को प्रोत्साहित करेंगे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 अगस्त।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को साप्ताहिक बाजार एसोसिएशन से मिलकर कहा कि देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि साप्ताहिक बाजार और रेहड़ी-पटरी वाले समस्या हैं, जबकि पूरी दुनिया में उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। दिल्ली सरकार भी अब ऐसी ही व्यवस्था लागू करेगी और साप्ताहिक बाजारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के साप्ताहिक बाजार को इतना बेहतर करेंगे कि अमेरिका से भी लोग आएं तो बाजार की खूबी देखें। मुख्यमंत्री ने बाजारों से अपील की है कि इन जगहों पर मार्शल लगाकर लोगों से दो गज की दूरी और तय नियमों का सख्ती से पालन कराएं।

साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति देने पर बाजार एसोसिएशन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजारों को बेहतर और व्यवस्थित करके उसे दिल्ली के आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा, ताकि जब कोई अमेरिका से पर्यटक साप्ताहिक बाजारों में जाए, तो उसकी तारीफ करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले छह महीने जो बीते हैं, वह सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही कठिन दौर था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी 30 से 35 फीसद कम हो गई है। वहीं, एसोसिएशन ने कहा कि उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया था, लेकिन बाजार खुलने से उन्हें राहत मिली है।

खुलते ही बंद हुआ नरेला का बाजार

नई दिल्ली। दिल्ली में सोमवार से खुले साप्ताहिक बाजार विवादो में फंस गया। नगर निगम का दावा था कि बाजार में उचित दूरी का पालन हो रहा है लेकिन मंगलवार को नरेला में ऐसी भीड़ हुई कि बाजार बंद कराना पड़ा।

कोरोना काल में बाजार जाने वाले लोगों को मास्क लगाने के साथ आपस में दूरी बनाए रखनी होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की थी। हालांकि इसे सप्ताह भर परीक्षण के तौर पर खुलने की बात कही थी।

उत्तरी निगम अधिकारी का इस मामले में कहना है कि नरेला जोन में मंगलवार को भी एक साप्ताहिक बाजार लगता है लेकिन इस बाजार में उचित दूरी के नियम का उल्लंघन देखा जा रहा था लिहाजा इसे आज बंद किया गया। अन्य बाजार अभी निर्देश के तहत चल रहे हैं। **(ज.सं)**

हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी से यमुना का जलस्तर बढ़ा

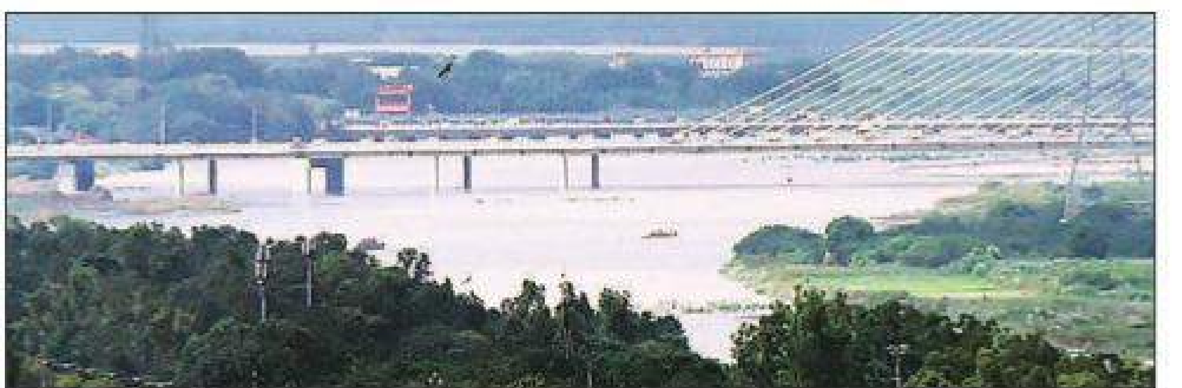

भारी बारिश से यमुना में लगातार बढ़ता जलस्तर।

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 अगस्त।

हथिनीकुंड से लगातार छोड़े जा रहे पानी के बाद दिल्ली में यमुना नदी का स्तर बढ़ रहा है। देश भर में हो रही बारिश के बाद बैराज का स्तर बढ़ा हुआ है और हाल ही में बैराज से दिल्ली के लिए 5 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। देर शाम 5 बजे तक यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर 203 मीटर के आसपास दर्ज किया गया था।

दिल्ली में यमुना नदी का चेतावनी स्तर 204.50 हैं। सुबह के वक्त नदी का स्तर 204.38 मीटर तक पहुंचा था। दिल्ली में यमुना नदी का खतरे का निशान 205.33 मीटर तय है। नदी इस स्तर से काफी नीचे बह रही है। विभाग के मुताबिक लगातार छोड़े जा रहे पानी पर नजर बनाकर रखी गई है और इस स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इससे पूर्व दिल्ली के लिए 7418 क्यूसेक पानी हरियाणा से छोड़ा जा रहा है।

विद्यार्थियों और शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा

नई दिल्ली। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआइ) दिल्ली राज्य कमेटी की ओर से मंगलवार को एक वर्चुअल (आभासी) प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली के तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की समस्याओं पर बात की गई।

इस दौरान डूटा की कोषाध्यक्ष प्रोफेसर आभा देव हबीब ने बताया कि डीयू प्रशासन द्वारा ओपन बुक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई जो की एक बड़ी त्रासदी सिद्ध हई। इस परीक्षा से कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और छात्र दुखी हुए। एलएसआर छात्र संघ की महासचिव उन्नीमाया ने बताया कि ऑनलाइन कक्षाएं और परीक्षा छात्रों के लिए बड़ी आफत साबित हुए। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आईषी घोष ने सरकार द्वारा बिना किसी योजना के प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के कदम की तीव्र आलोचना की। इस दौरान प्रो नंदिता नारायण, शुभोजीत डे, अमीषा नंदा, कार्तिक राय और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्र ने भी अपनी राय रखी। कार्यक्रम में एसएफआइ अध्यक्ष और सचिवभी शामिल रहे। **(ज.सं.)**

मुख्यमंत्री व अन्य के खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 अगस्त।

दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट मामले में निचली अदालत अब आरोप तय करने की कार्यवाही फिर शुरू कर सकेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में बदलाव करते हुए इस बाबत बहस की अनुमति दे दी। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। हाईकोर्ट ने यह अनुमति तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के अनुरोध पर दी। हाई कोर्ट ने 14 अप्रैल, 2019 को दिए अपने आदेश को भी संशोधित किया, जिसमें निचली अदालत को इस मामले में सुनवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने जारी आदेश में कहा कि जहां तक 14 मार्च 2019 का आदेश है, उसमें संशोधन किया जाता है। निचली अदालत अब सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करते हुए आरोप तय करने के लिए दोनों पक्षों की जिरह सुन सकती है। दरअसल अंशु प्रकाश ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट में केजरीवाल और सिसोदिया द्वारा दायर याचिका पर शीघ्र सुनवाई का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था।

सुनवाई के दौरान अंशु प्रकाश का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि समय बचाने के लिए अगर आरोप तय करने के लिए सुनवाई होती है और नियमित लोक अभियोजक पक्ष रखते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन और एन हरिहरन ने कहा कि निचली अदालत की ओर से नियमित लोक अभियोजक की ओर से मामले को रखे जाने पर उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है।

विधानसभा समिति ने फेसबुक अधिकारियों को जारी किया समन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 अगस्त।

दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति ने मंगलवार को फेसबुक के अधिकारियों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले मामले में मिली शिकायतों पर सुनवाई की। समिति के सामने तीन गवाहों ने उपस्थित होकर बयान दर्ज कराया। समिति अध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि समिति ने फेसबुक के आला अधिकारियों को नोटिस भेज कर समन करने का फैसला किया है, ताकि उनका पक्ष सुना जा सके और उनका बयान दर्ज किया जा सके।

उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान सामने आया कि फेसबुक के कुछ आला अधिकारी भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं और घृणा फैलाने वाले संदेश नहीं हटा रहे हैं। यह बात 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' में 14 अगस्त, 2020 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी सामने आई थी और उससे संबंधित शांति एवं सद्भाव समिति को कई सारी शिकायतें मिली हैं। मंगलवार को समिति के सामने जो गवाह आए, उसमें डोमेन एक्सपर्ट थे, जिन्होंने डिजिटल कंटेंट, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, साइबर फ्रीडम, इंटरनेट फ्रीडम और फेसबुक के ऊपर खास तौर पर खुद अध्ययन किया है। समिति की कार्रवाई के दौरान जो बातें निकल कर आई है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि फेसबुक एक तटस्थ मंच नहीं है। बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, जो यह दिखाता है कि कंटेंट निष्पक्ष फेसबुक नहीं है। फेसबुक कुछ खास प्रकार के कंटेंट को ज्यादा महत्व और दृश्यता देता है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

आजमगढ़ ब्रांच : पं0 दिन दयाल चौक, सिविल लाईनस, आजमगढ़ - 276001

कब्जा सूचना (स्थावर सम्पत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरी ने जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का प्राधिकृत अधिकारी है, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, निम्न उधारकर्ताओं एवं गारंटीकर्ताओं को उनके नाम के सामने दिये गये रकम तथा ब्याज की सूचना जारी करते हुए 60 दिनों के अन्दर उल्लिखित राशि तथा ब्याज के पुन:भुगतान हेतु सूचित किया था।

चूंकि उधारकर्ता इस रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहे, अत: उधारकर्ता/गारंटीकर्ता और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 व 9 के साथ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूमि हित का प्रवर्तन (अधिनियम) की धारा 13(4) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता/गारंटीकर्ता और विशिष्ट रूप से जनसाधारण को इसके द्वारा सावधान किया जाता है कि वह नीचे वर्णित संपत्ति के सम्बन्ध में व्यवहार न करें और संपत्ति में किसी भी प्रकार का व्यवहार इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

क्र.सं.	उधारकर्ता/गारंटीकर्ता/बंधककर्ता का नाम और पता	खाते का विवरण	प्रतिभूतियों के विवरण	कब्जा सूचना की तिथि
1.	मेसर्स ऐर्गो पावर सेन्टर (प्रो. श्री सौरभ सिंह चौहान), ग्राम - बैठोली, पोस्ट - सानगढ़, आजमगढ़।	माँग सूचना दिनांक 10.02.2020 बकाया राशि रू. 70,27,101.00 + ब्याज एवं अन्य प्रभार 31.01.2020 से	जमीन व बिल्डिंग का सामयिक बंधक पोस्ट - बददोहपुर, पी आर. निजामाबाद, तहसील - सदर - जिला - आजमगढ़। सम्पत्त संपत्ति का भाग : 1. 430 का क्षेत्रफल 0.401 हेक्टेयर, 2. 431 का क्षेत्रफल 0.202 हेक्टेयर, 3. 432 का क्षेत्रफल 0.030 हेक्टेयर, 4. 434 का क्षेत्रफल 0.014 हेक्टेयर कुल 4 प्लॉट क्षेत्रफल 0.465 हेक्टेयर जिसका 1/4 भाग 0.116-25 हेक्टेयर या 287 लिंक्स, श्यामसुन्दर चौहान, राम सुन्दर चौहान, सौरभ सिंह चौहान, पुत्र स्व0 राम आधार चौहान, लवंगी, पत्नी स्व0 राम आधार (बंधककर्ता) चौहद्दी - उत्तर - गुड्डू पुत्र राम प्रसाद चौहान का जमीन व मकान, दक्षिण - राम रूप पुत्र बंशी चौहान का जमीन व मकान, पूर्व - मार्ग, पश्चिम- मार्ग, तत्पश्चात बलिहारी, बलराम व अन्य का मकान	21.08.2020
2.	श्री श्यामसुन्दर चौहान, पुत्र श्री राम आधार चौहान, ग्राम - शेखपुरा, पोस्ट - बडोपुर, पी आर. निजामाबाद, तेह. सदर, जिला - आजमगढ़।			
3.	श्री राम सुन्दर चौहान, पुत्र श्री राम आधार चौहान, ग्राम - शेखपुरा, पोस्ट - बडोपुर, पी आर. निजामाबाद, तेह. सदर, जिला - आजमगढ़।			
4.	श्रीमती लवंगी, पत्नी श्री राम आधार चौहान, ग्राम - शेखपुरा, पोस्ट - बडोपुर, पी आर. निजामाबाद, तेह. सदर, जिला - आजमगढ़।			

दिनांक : 25.08.2020 स्थान : आजमगढ़

प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

THE ASSOCIATED JOURNALS LIMITED

Registered Office: Herald House, 5-A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Corporate Identification Number- U22122DL1937PLC215943
Phones: 011- 47636300, Fax: 011-23313458
Email: nationalhelalddelhi@gmail.com Website: www.nationalheraldindia.com

शेयरधारक कृपया नोट करें कि दि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के सदस्यों की 82वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को सुबह 10.30 बजे (भा.मा.स) वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। कृपया नोट करें कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, दिनांक 5 मई, 2020, 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 (लागू परिपत्र) के अनुपालन में बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के सम्पादन के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-वीडियो माध्यमों का उपयोग होगा।

कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए लागू परिपत्रों में कंपनी को वार्षिक रिपोर्ट (वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और सभी संलग्नकों के साथ बोर्ड की रिपोर्ट) एवं अन्य सभी पत्राचार उन सदस्यों एवं इसके हकदार अन्य सदस्यों को केवल ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने हैं जिनके ई-मेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास पंजीकृत हैं।

इसलिए, हमारा उन शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना फोलियो नम्बर/डीपी/क्लाइंट आईडी, सर्टिफिकेट नं., मोबाइल नं., ई-मेल आईडी के साथ पैन कार्ड/आधार कार्ड/वैध पासपोर्ट/शेयर प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति के साथ निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके अपना ई-मेल पता और स्थायी खाता संख्या कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत कराएं। इसे पंजीकृत कराने की विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है:

भौतिक धारिता: शेयरधारक अपना फोलियो नम्बर, पूरा पता, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक विवरण, आधार) की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति एवं पंजीकृत कराने वाले ई-मेल पते के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी भेजकर इस कंपनी को nationalheralddelhi@gmail-com पर भेजकर अपना ई-मेल पता और/या बैंक विवरण पंजीकृत करा सकते हैं।

डीमैट धारिता: डीमैट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कृपया अपना ई-मेल पता एवं बैंक विवरण के साथ अपना फोलियो नम्बर/डीपी/क्लाइंट आईडी, पूरा पता, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक विवरण, आधार) की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति एवं पंजीकृत कराने वाले ई-मेल पते के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी भेजकर इस कंपनी को nationalheralddelhi@gmail-com पर भेजकर अपना ई-मेल पता और/या बैंक विवरण पंजीकृत करा सकते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अपने डीमैट खाते, यदि कोई हो, में ई-मेल पते एवं बैंक विवरण के स्थायी पंजीकरण के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डीपी से संपर्क करें और बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।

शेयरधारकों के पास एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी व्यवसायों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने का अवसर होगा। डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों और जिन शेयरधारकों के लिए रिमोटली वोट देने की प्रक्रिया शेयरधारकों को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजी जाने वाली सूचना में दी जाएगी।

82वीं एजीएम की सूचना लागू नियमों के अनुपालन में शेयरधारकों को उचित समय में उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजी जाएगी।

कृते **दि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड**
हस्ता/-
मोती लाल वोरा
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
DIN: 00628348

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25.08.2020

हिन्दुस्तान एधेसिव्स लिमिटेड

पंजी कार्या.: बी-2/8, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029
CIN: L74899DL1988PLC031191
फोन: 011-41650347-48, ईमेल:accounts@hindustanadhesives.com,
वेबसाईट: www.bagla-group.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की बत्तीसवीं (32वीं) वार्षिक साधारण सभा बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में एक सामूहिक स्थल पर सदस्यों की शारिरिक उपस्थिति के बिना कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी क्रमशः साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 तिथि 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 (एमसीए सर्क्युलर) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 1/सीआईआर/पी/2020/79 तिथि 12 मई, 2020 (सेबी सर्क्युलर) के अनुपालन में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) सुविधा द्वारा आयोजित की जायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020 के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते उपरोक्त एमसीए सर्क्युलर तथा सेबी सर्क्युलर तिथि 12 मई, 2020 के अनुसार कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। सदस्यगण ध्यान रखें कि एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020 कम्पनी की वेबसाईट www.bagla-group.com तथा कम्पनी के स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध होगी। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा ही एजीएम में शामिल हो सकते है। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दी गई है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अन्तर्गत वीसी/ओएवीएम द्वारा सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जायेगी।

हम ऐसे सभी शेयरधारकों जिन्होंने अभी तक कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, से आग्रह करते हैं कि त्वरित रूप से तथा बिना किसी अवरोध के सभी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिये तत्काल ऐसा करा लें। अभिलेखों में सही ईमेल पते के अपडैटिंग से हमें आपसे और विशेष रूप से चुनौती पूर्ण समय में प्रभावकारी रूप से सम्वाद करने में मदद मिलें।

इसके लिये हम ऐसे सभी शेयरधारकों जिन्होंने अपने ईमेल पते तथा स्थाई खाता संख्या अपडेट नहीं कराये हैं, से अनुरोध करते हैं कि कृपया नीचे वर्णित लिंक का अनुसरण कर तथा अपने पैन कार्ड/आधार/वैध पास्पोर्ट/शेयर प्रमाणपत्र की स्वत सत्यापित प्रति के साथ अपने फोलियों नं./डीपी/क्लाइन्ट आईडी, प्रमाणपत्र सं., पैन मोबाईल नं., ईमेल आईडी कोट करते हुए उसे अपडेट करा लें। ईमेल आईडी तथा बैंक के विवरणों को सदस्यों द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया:

डीमैट धारिता	डीमेट पद्धत्ति में इक्विटी शेयर धारित करने वाले सदस्यों तथा जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हों, वे लिंकः http://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html पर क्लिक कर तथा उसमें निर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया का अनुसरण कर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट मैं लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के पास अस्थाई रूप से उसे पंजीकृत करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये सदस्य rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर मै. लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को ईमेल भेजें। स्पष्ट किया जाता है कि ईमेल पते तथा अपनी डीमैट खाता में बैंक के विवरणों के स्थाई पंजीकरण के लिये सदस्यों से आग्रह है कि संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट ('डीपी') से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह से प्रक्रिया का अनुसरण करें।
भौतिक धारिता	भौतिक पद्धत्ति में कम्पनी का इक्विटी शेयर धारित करने वाले सदस्यों तथा जिन्होंने अपने ईमेल पते एवं/अथवा बैंक खाता के विवरणों को पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे लिंक http://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html पर क्लिक कर तथा उसमें निर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया का अनुसरण कर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट मैं. लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के पास उसे पंजीकृत करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये सदस्य rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर मै. लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को ईमेल भेजें। यह आपकी जानकारी तथा अभिलेखों के लिये है।

उपरोक्त विषय पर किसी भी पूछताछ के लिये कम्पनी के शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे सम्पर्क करें:
मै. लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, 1ला तल, प्लॉट नं. एनएच-2, सी-1 ब्लॉक, एलएससी, सावित्री मार्केट के निकट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, टेली.: 011-41410592/93/94, टेली फैक्सः 011-41410591, ईमेल delhi@linkintime.co.in

कृते एंव के लिये
हिन्दुस्तान एधेसिव्स लिमिटेड
हस्ता./-
मधुसूदन बगला
(प्रबंध निदेशक)

तिथि: 25.08.2020
स्थानः नई दिल्ली

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए एकल/समेकित वित्तीय परिणामों का सार

रू करोड़ में

विवरण	एकल: 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	एकल: 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	एकल: 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	एकल: 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)	समेकित: 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	समेकित: 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	समेकित: 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	समेकित: 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)
प्रचालन से कुल आय	477.35	1,788.32	1,120.83	5,202.45	526.87	1,873.35	1,069.85	5,391.51
निवल लाभ /(हानि) (कर और विशिष्ट मदों से पूर्व)	60.13	161.51	# 215.58	# 672.57	54.97	155.17	# 219.14	# 671.99
निवल लाभ/(हानि) (कर पूर्व और विशिष्ट मदों के उपरांत)	60.13	161.51	215.58	672.57	54.97	155.17	219.14	671.99
कर उपरांत निवल लाभ	39.88	122.42	141.23	489.78	34.46	115.40	144.66	485.31
कुल समग्र आय	38.23	121.68	142.79	486.83	32.81	114.65	146.22	482.35
इक्विटी शेयर पूंजी	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05
अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)				4,067.08				4,077.27
प्रति शेयर आय (वार्षिकीकृत नहीं) (नोट 4) (प्रत्येक रू 2/- अंकित मूल्य)								
(क) बेसिक (₹ में)	0.85	2.60	3.00	10.42	0.73	2.45	3.08	10.32
(ख) डाइल्यूटिड (₹ में)	0.85	2.60	3.00	10.42	0.73	2.45	3.08	10.32

30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान विदेशी परियोजनाओं के लिए देय रू 84.13 करोड़ की राशि के लिए राइट बैक/एजेंसी कमीशन का रिवर्सल शामिल है.

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त एकल और समेकित वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा एवं सिफारिश की गई है और निदेशक मंडल ने 25 अगस्त 2020 को आयोजित अपनी बैठक में इसका अनुमोदन किया है तथा कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की सीमित लेखा परीक्षा कर ली गई है।
2. एकल और समेकित वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013, इसके अधीन बनाए गए संगत नियमों के साथ पठित, के अनुच्छेद 133 के अधीन यथा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानदंडों (इंड एएस) और सेबी (सूचीकरण उत्तरदायित्व एवं प्रकट अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 33 और यथा लागू अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन व्यवहारों तथा नीतियों के अनुसरण में तैयार किए गए हैं।
3. उपरोक्त सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015, के विनियम 33, यथा संशोधित, के अधीन स्टॉक एक्सचेंजो के पास प्रस्तुत वित्तीय परिणामों के विस्तृत फार्मेट का सार है। उपर्युक्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण फार्मेट स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट बीएसई (www.bseindia.com/corporates), एनएसई (www.nseindia.com/corporates) और कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर उपलब्ध है।
4. कंपनी के शेयरधारकों ने 22 मार्च, 2020 को डाक मतपत्र के जरिए निम्नलिखित को स्वीकृति प्रदान की है:-

(i) एक इक्विटी शेयर का प्रत्येक रू 10 से प्रत्येक रू 2/- के पांच इक्विटी शेयर्स में विभाजन जो कि 3 अप्रैल, 2020 से स्टॉक एक्सचेंजों में प्रदर्शित कर दिया गया है.

(ii) कंपनी के संगम ज्ञापन में पूंजी उपबंध में संशोधन.

तदनुसार प्रति शेयर पर लेखांकन मानदंडों (इंड एएस 33), के अनुपालन के लिए, ऊपर प्रस्तुत सभी पिछले वर्षों/अवधियों की प्रति शेयर गणना इक्विटी शेयरों की नई संख्या पर आधारित है.

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए और की ओर से
हस्ता/-
एस. के. चौधरी
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00515672

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 25 अगस्त, 2020

इरकॉन
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली- 110017; फोन: +91-11-29565666; फैक्स: +91-11-26522000/26854000; ई-मेल: info@ircon.org; वेबसाइट: www.ircon.org; कार्पोरेट पहचान संख्या: L45203DL1976GOI008171

सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बी-536-537 मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया, अलवर-301030 (राजस्थान)
कोर्पोरेट कार्यालय : इनसाइड डाटा इंजिनीयस ग्लोबल लिमिटेड, स्टेशन रोड, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 (राजस्थान)
सीआईएन : एल15142आरजे1991पीएलसी006353 । फोन नं. : +91 77378 22222
ई-मेल : sardaproteins@yahoo.com | वेबसाईट : www.sardaproteins.com

सूचना

एतद् द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के अनुसार में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक **बुधवार, 02 सितम्बर, 2020 को अप. 4.00 बजे** निगामित कार्यालय इन्साइड डाटा इन्जीनियस ग्लोबल लिमिटेड, स्टेशन रोड, दुर्गापुरा, जयपुर 302018 (राजस्थान) में आयोजित की जाएगी, जिसमें, अन्य के साथ, **30 जून 2020** को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित और अनुमोदित किए जाएगें तथा उनके संबंध में सीमित समीक्षा की रिपोर्ट अभिलेखबद्ध की जाएगी।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.sardaproteins.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.baseindia.com पर भी उपलब्ध है।

सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड द्वारा
हस्ता.- अमित कुमार मोदी
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
M. No.29371

तिथि : 24.08.2020
स्थान : जयपुर

टायटन सिक्युरिटीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: ए-2/3, तीसरी मंजिल, लुसा टॉवर, आजादपुर, दिल्ली-110033
CIN: L67190DL1993PLC052050
फोन: नं.: 011-27674615
ई-मेल: titan.securities@yahoo.com | वेबसाईट: www.titansecuritieslimited.com

टायटन सिक्युरिटीज लिमिटेड की 28वीं AGM की सूचना वीडियो कान्फ्रेन्स के या अन्य आडियो-विजुअल के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा के लिए

यह सूचित करना है कि कोविड -19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर, टायटन सिक्युरिटीज लिमिटेड (कंपनी) की **28वीं वार्षिक आम बैठक** (AGM/बैठक) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) सुविधा के माध्यम से बुलाई जाएगी /अन्य ऑडियो विजुअल का मतलब है (OVAM)। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्रों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के साथ पढ़ा जायेगा। कंपनी के सदस्यों की **28वीं AGM 11:30 बजे (भारतीय मानक समय) शुक्रवार, 25 सितंबर, 2020** को आयोजित की जाएगी। VC सुविधा/OVAM के माध्यम से CDSL द्वारा प्रदान किए गए व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए दिया गया था, जैसा कि AGM के नोटिस में दिया है।

कंपनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की ई-कॉपी वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए AGM, वित्तीय विवरणों और अन्य वैधानिक रिपोर्टों के नोटिस के साथ कंपनी की वेबसाइट www.titansecuritieslimited.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020 के साथ AGM की सूचना स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात् www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी, जिस पर कंपनी की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया गया है। सदस्य केवल VC सुविधा /OVAM के माध्यम से AGM में भाग ले सकते हैं, जिसका विवरण कंपनी द्वारा बैठक की सूचना में प्रदान किया जाएगा। एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020 के साथ AGM की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से केवल उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते कंपनी/RTA के साथ पंजीकृत हैं। इसके अलावा, AGM और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के नोटिस का कोई भी भौतिक रूप से किसी भी सदस्य को नहीं भेजा जाएगा।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन करें:

इलेक्ट्रॉनिक रूप से AGM और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की सूचना प्राप्त करने के लिए और रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते दर्ज करने के लिए

क. **भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक** ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को फोलियो नंबर, शेयरहोल्डर का नाम, शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी) titan.securities@yahoo.com/beetalrta@gmail.com पर ईमेल भेजें।

ख. **डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक** अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) से संपर्क करके केवल अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवा सकते हैं।

VC/OVAM के माध्यम से AGM मे मतदान करने और उपस्थित होने के निर्देश भी AGM के नोटिस में भी प्रदान किए जाएंगे।

टाइटन सिक्योरिटीज लिमिटेड
हस्ता./-
अकांशा शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 24.08.2020

www.readwhere.com